

मालय उपखण्ड अधिकारी मांडल (भीलवाड़ा)

जोन अधिकारी :- श्री सी.एल. शर्मा, आर.ए.एस.
कैम्प - आलगास

संख्या :- 90/18

प्राथी रामकंठर ०२ बुकीर सिंह राजपूत जितारसी - कबराडिया, तहसील - भाण्डल
-- प्रार्थी

बनाम

श्री श्रीमालाल २१० रामा लुहार जितारसी - हाथीपुरा, तहसील - भाण्डल [कौरा]
-- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू. रा. अधि. 1956

:: आदेश ::

दिनांक 18.5.18

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर
किया कि ग्राम हाथीपुरा पटवार हल्का कबराडिया तहसील मांडल / में
खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 102, 104/2 कुल किता 02
02 बीघा 09 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी
विवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते
स्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 3.4.18 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
तोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का
कारि है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अदेशा नहीं
ग न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त
धार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य हैं।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम हाथीपुरा
हल्का कबराडिया तहसील मांडल में स्थित आराजी नम्बर 102, 104/2
कुल किता 02 रकबा 02

09 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी
जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक आलगास
300/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके
जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते
मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तिलिपि:- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर
तिलिपि रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा